

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के
गौंव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

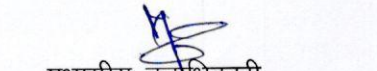
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन मय मानचित्र

नोट- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के पत्र संख्या 11-168/ 2009-एफ सी. दिनांक 14.02.2012 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण का 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित कर प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख-रखाव का प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

-----संलग्न है-----


वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन क्षेत्र


उपप्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभाग, बागेश्वर
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने प्रभावित होने वाली 1.991 है0 वन भूमि के दुगुने 3.982 है0 में वनीकरण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना।
वर्ष 2016-17

- 1 परियोजना का नाम- स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।
- 2 पौधारोपण स्थल का नाम- ग्रामतहसील जिला बागेश्वर सिविल सोयम भूमि - क्षेत्रफल 3.982 है0
- 3 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 3.982 x 1100 = 4380 पौधे
- 4 रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरड़, आवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, ववैराल, भीमल, रीठा आदि।

वर्ष 2016-17

क.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	3.982	97.00	386.25
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	3.982	584.00	2325.49
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 है0 को आधार मानकर)	3.982	7750.00	30860.50
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति है0 84 घ0मी0 औसत	334.49	315.00	105363.72
5	गड्डा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	4380	7.33	32106.87
6	निरीक्षण बटिया	3.982	485.00	1931.27
7	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	4380	5.89	25799.38
8	औजार तेज कराई		LS	400.00
1	1- प्रथम चरण का योग			199173.48
1	गड्डा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	4380	1.15	5037.23
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष ।	4380	1.15	5037.23
3	पौध दुलान कार्य (25 % नंगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि0मी0 सिरबोझ औसत पर)	4380	6.39	27989.48
4	पौधारोपण व थावलबंदी	4380	2.06	9023.21
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	4380	0.76	3328.95
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	4380	0.21	18.96
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है0 पर)।	3.982	4768.00	18986.18
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	350.00	1393.70
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	225.00	895.95
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	400.00	1592.80
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
11	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डैक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	3.982	LS	700.00
2	2- द्वितीय चरण का योग			74800.09
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.982	7152.00	28479.26
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	350.00	1393.70
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	225.00	895.95
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	310.00	1234.42
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
3	3- तृतीय चरण का योग			32799.73
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.982	7152.00	28479.26
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	350.00	1393.70
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	225.00	895.95
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	310.00	2543.86
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
4	4- चतुर्थ चरण का योग			34109.17
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.982	7152.00	28479.26

2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	200.00	796.40
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरवाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	150.00	597.30
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	310.00	1234.42
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
5	5- पंचम चरण का योग			31903.78
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.982	7152.00	28479.26
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	350.00	1393.70
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरवाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	225.00	895.95
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	310.00	1234.42
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
6	6- षष्ठम चरण का योग			32799.73
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.982	7152.00	28479.26
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	350.00	1393.70
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरवाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	225.00	895.95
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	310.00	1234.42
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
7	7- सप्तम चरण का योग			32799.73
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.982	7152.00	28479.26
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	350.00	1393.70
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरवाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	225.00	895.95
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	310.00	1234.42
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
8	8- अष्टम चरण का योग			32799.73
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.982	7152.00	28479.26
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	350.00	1393.70
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरवाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	225.00	895.95
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	310.00	1234.42
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
9	9- नवम चरण का योग			32799.73
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	3.982	7152.00	28479.26
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	3.982	350.00	1393.70
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरवाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	3.982	225.00	895.95
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	3.982	310.00	1234.42
	ब- प्रोत्साहन	3.982	200.00	796.40
10	10- दशम चरण का योग			32799.73
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)			536784.93
	(पाँच लाख छत्तीस हजार सात सौ पिचासी रुपये मात्र)		अर्थात् रु0	536785.00

वनक्षेत्र अधिकारी
वन विभाग
बन क्षेत्र
बन विभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग
बन क्षेत्र

प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग
बन क्षेत्र